सं०सं– 16 / ब.1–05 / 2026 1175 /

झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

मनोज कुमार रंजन,
निदेशक,

सेवा मे,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
झारखण्ड।

रॉची, दिनांक 13/07/2026

विषय : **नवनियुक्त सहायक आचार्यों के बकाये वेतनादि के भुगतान के संबंध में।**

प्रसंग : **प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का पत्रांक–566 दिनांक–15.04.2026**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के स्थापना व्यय हेतु कुल राशि–रू 22,52,29,81,700 / –(बाईस अरब बावन करोड उन्नतीस लाख एकासी हजार सात सौ रूपये) मात्र विभिन्न जिलों को आवंटित किये गये हैं। उक्त आवंटनादेश की कंडिका–4(i) में निम्न शर्त्त अंकित है :–

"वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं इसके पूर्व तथा 15.11.2000 के पूर्व के बकाया वेतन का भुगतान निदेशक, प्राथमिक शिक्षा से प्राप्त आदेश के उपरांत ही किया जाय। अपवाद रूप से उच्च न्यायालय के न्यायादेश से आच्छादित मामलों में 15.11.2000 के पूर्व के बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा।"

राज्य में सहायक आचार्यों की पूर्व से आरंभ नियुक्ति प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कतिपय सहायक आचार्यों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष–2025–26 में की गयी है। निदेशालीय पत्रांक–923 दिनांक–08.06.2026 के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ नवनियुक्त सहायक आचार्यों का अविलंब वेतनादि का भुगतान किये जाने का आदेश निर्गत है।

प्रासंगिक पत्र में अंकित उपरोक्त शर्त्त के कारण नवनियुक्त सहायक आचार्यों के पूर्व वित्तीय वर्ष–2025–26 मे कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान नही किये जा सकने की सूचना विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त हुई है।

सहायक आचार्यों के देय वेतनादि का ससमय भुगतान किये जाने संबंधी मामले का विभागीय सचिव द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है साथ ही उक्त बिन्दु पर आयोजित बैठकों मे यह सुनिश्चित किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है कि इनके वेतन भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न नही हो।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न निर्णय लिया जाता है:

1. निदेशालीय पत्रांक–566 दिनांक–15.04.2026 से निर्गत आवंटनादेश की कंडिका–4(क) नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान के मामले मे प्रभावी

नही होगा अर्थात नवनियुक्त सहायक आचार्यों के मामले में पूर्व में निर्गत दिशा–निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय वर्ष–2025–26 के भी बकाया वेतनादि का भुगतान इन्हें सम्प्रति आवंटित राशि से किया जा सकेगा।

2. उपर्युक्त कंडिका–1 में लिया गया निर्णय मात्र नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतनादि भुगतान तक सीमित होगा।

3. सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वेतन भुगतान संबंधी अन्य सभी शर्त्तों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4. निदेशालीय पत्रांक–566 दिनांक–15.04.2026 से निर्गत आवंटनादेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

10.07.26

(मनोज कुमार रंजन)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 16/ब.1–05/2026 1175/ **राँची, दिनांक :** 13/07/2026/

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक एवं सभी कोषागार/उप कोषागार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.07.26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 16/ब.1–05/2026 1175/ **राँची, दिनांक :** 13/07/2026/

प्रतिलिपि : विभागीय सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10.07.26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।